अनुसूची–१४ –फारम सं0 ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 13 / 2014

उमरावती देवी

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा, मढ़ौरा, सारण।)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
07.01.2016	यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के ज्ञापांक 194 दिनांक 13.01.2011 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 08.12.2010 को पूर्वाह्न 11.30 बजे अनुमंडल स्तरीय गठित जॉच दल (प्र0वि0 पदा0, मशरक तथा प्रखंड आपूर्ति पदा0 तरैया) के द्वारा श्रीमति उमरावती देवी ज0वि0प्र0वि0 अनुज्ञप्ति संख्या–91 / 07 ग्राम–गंगौली, पंचायत–गंगौली, थाना–मशरक प्रखंड–मशरक, की दूकान की जॉच की गई। जॉच की कम में, निम्नलिखित अनियमितताए पाई गई– 1. निरीक्षण के समय वितरण अवधि में दूकान बंद पाई गई तथा विक्रेता दूकान से अनुपस्थित थे। 2. दुकान से संबंधित सूचना पट्ट एवं मूल्य तालिका प्रदर्शन पट्ट समुचित रूप से संधारित नही था। 3. विक्रेता की अनुपस्थिति के कारण स्टॉक पंजी / वितरण पंजी इत्यादि की जॉच नहीं की जा सकी तथा मांगने पर भी विक्रेता के घर के अन्य सदस्यों के द्वारा उपरोक्त कागजात जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। 4. विक्रेता के घर के अन्य सदस्यों के द्वारा भंडार के निरीक्षण हेतु भंडार खोलकर नहीं दिखाया गया। इससे प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि विक्रेता के द्वारा जन वितरण प्रणाली के खाद्यान्न / चीनी / किरासन तेल का उपभोक्ताओं के बीच वितरण न कर कालाबाजार में बेच दिया जाता है। 5. विक्रेता की दुकान से संबद्ध उपभोक्ताओं के द्वारा लिखित ब्यान	

दिया गया है कि उन्हें तीन माह पर एक बार तीन लीटर किरासन तेल मिलता है।

अनुमण्डल पदाधिकारी, मढ़ौरा–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अपने ज्ञापांक 3645/आ0 दिनांक 24.12.2010 से उक्त विकेता से स्पष्टीकरण पूछा गया। विकेता के द्वारा अपना जावाब प्रस्तुत किया गया। प्राप्त जवाब को असंतोषजनक पा कर विकेता की अनुज्ञप्ति अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा रद्द कर दी गई, जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विकेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में ससमय अनुदानित सामग्री का कूपन के आधार पर वितरण किया जाता है। दिनांक 08.12.2010 को विकेता के मायके से उसके भाई की तबीयत खराब होने की सूचना प्राप्त हुई, जिससे वे घबराहट में दूकान बन्द कर उन्हें देखने चली गई। चूकि दूकान की चाभी विकेता के पास थी, इसलिए विकेता के परिवार के सदस्यों के द्वारा दूकान खोल कर भंडार दिखाना या दूकान से संबंधित पंजी/कागजात दिखाना संभव नहीं हो सका। दूकान बंद करते समय सूचना पट्ट एवं मूल्य तालिका समूचित रूप से संधारित थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि किसी शरारती बच्चे के द्वारा उसे मिटा दिया गया हो। विकेता के द्वारा निर्धारित दर पर निर्धारित मात्रा में सामग्री का वितरण किया जाता है। उसके विरूद्ध लगाए गए सभी आरोप ग्रामीण राजनीति से प्रेरित है एवं सरासर गलत है। अतः अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को रद्द करते हुये अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

विज्ञ विशेष लोक अभियोजक, आपूर्ति से संबंधित मामले, सारण, छपरा के द्वारा बताया गया कि विकेता के द्वारा विभागीय मार्ग दर्शिका के प्रतिकूल आचरण कर के अनियमितता बरती गई है। अतः उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द रखा जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अनुमंडल पदाधिकारी मढ़ौरा–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 194 दिनांक 13.01.2011) मे कई त्रुटियां नजर आ रही है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने कारण पृच्छा में कही भी आरोप लगाने वाले उपभोक्ताओं का नाम अंकित नही किया गया है। इस तरह कारण पृच्छा अपने आप में अस्पष्ट एवं अपूर्ण हो जाता है। विकेता से प्राप्त जवाब में यदि कोई कमी पाई गई या विकेता के द्वारा प्रस्तुत

कागजातों में कोई त्रुटि पाई गई, तो यह आवश्यक था कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विकेता से द्वितीय कारण पृच्छा किया जाता, लेकिन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को त्रुटिपूर्ण पा कर निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन दिनांक 18.11.2014 को स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं सशोधित

15/01/16

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

15/01/16

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 165 / दिनांक 15/01/2016

प्रतिलिपिः–अनुमंडल पदाधिकारी,मढ़ौरा,छपरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सारण छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिल विधि शाखा
सारण, छपरा।

15/1/16